पत्रांक : 2137 /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनु0/2016–2017/दे0दून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड।
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनः दिनांकः 10 जून, 2016

::विज्ञप्ति::

(उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियमावली, 2009 के नियम 4 के उपनियम (2) सपठित उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम 11 के उपनियम (12) के अन्तर्गत)

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियमावली, 2009 के नियम 4 के उपनियम (2) में प्राविधानित है कि विवरणियों तथा वार्षिक विवरणी के प्रस्तुतिकरण हेतु उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम 11 के प्राविधान आवश्यक परिवर्तन सहित अधिनियम के अधीन सभी ब्यौहारियों पर लागू होंगे। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 के उपनियम (1) में प्राविधानित तालिका में विनिर्दिष्ट ब्यौहारी अथवा व्यक्तियों की श्रेणी द्वारा सावधिक विवरणी उपाबन्धों सहित की प्रस्तुति वित्तीय वर्ष 2013–14 की प्रथम तिमाही से वैबसाईट पर ऑनलाईन दाखिल करना अनिवार्य कर दी गयी है।

इस क्रम में उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियमावली के नियम 4 के उपनियम (1) के अर्न्तगत प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणी के प्ररूप–ग अनुलग्नकों सहित विभागीय वैबसाइट http://comtaxappl.uk.gov.in पर login करने के उपरान्त Entry Tax शीर्षक के अर्न्तगत Offline File Download में डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इस विवरणी को वर्ष 2016–17 की प्रथम तिमाही से अनिवार्य रूप से ऑनलाईन दाखिल करने सम्बन्धी Utility लागू की जा रही है, किन्तु यदि किसी ब्यौहारी द्वारा गत वर्ष के चतुर्थ त्रैमास से सम्बन्धित विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की गयी हो, तो ऐसे ब्यौहारी भी, यदि चाहें तो वैकल्पिक रूप से, विवरणी ऑनलाईन दाखिल कर सकते हैं।

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियमावली 2009 के नियम 4 के उपनियम (1) के अर्न्तगत प्राविधानित प्ररूप–ग ऑनलाइन दाखिल किये जाने की प्रकिया के सम्बन्ध में दिशा निर्देश वाणिज्य कर मुख्यालय के आई0टी0अनुभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 : 2137 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव वित, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर।
3– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध करायें।
4– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
5– श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर एवं Web Information Officer को विभागीय वैबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।
6– समस्त अनुभाग अधिकारी/विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

Aud_(Vidhi_L)